प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

6– उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा 88 में स्पष्ट किया गया है कि नियंत्रण अधिकारी या विभागाध्यक्ष जैसी स्थिति हो इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होगें कि व्यय को कडाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय।निदेशक , नागरिक सुरक्षा यह व्यवस्था सुनिश्चित करेगें कि वित्तीय स्वीकृतियों के समक्ष व्यय के अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी तथा शासन को बराबर इससे अवगत कराया जायेगा। यदि किसी विनियोग को प्राथमिक कडाई के अधीन अनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बडे अन्तर होने की सम्भावना मालूम पडे तो उसे तत्काल शासन को अवगत कराया जायेगा।

7– कृपया व्यय की सूचना अगले माह की 10 तारीख तक निश्चित रूप से वी0एम0–8 प्रपत्र पर शासन का उपलब्ध करा दें तथा अधीनस्थ कार्यालयों को वितरित की जाने वाली धनराशि तत्काल वितरित करने की कार्यवाही सुनिश्चित करके शासन को अवगत करायें।

8– उपर्युक्त पर होने वाला चालू वित्तीय वर्ष 2010–11के आय–व्यय के अनुदान संख्या–27 के लेखा शीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवायें –800 अन्य–03 अवशेषों का भुगतान –01 वेतन के नामे डाला जायेगा।

यह आदेश वित्त(आय–व्ययक) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–बी–1–951/दस–2010–231/2010 दिनांक 26 मार्च ,2010 में निहित निर्देशों के अन्तर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(जी0पी0वर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या– 907(1)/छः ना0सु0/10 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1–महालेखाकार (लेखा–हकदारी) प्रथम तथा द्वितीय,उत्तर प्रदेश ,इलाहाबाद।
2–महालेखाकार(लेखा–परीक्षा)प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।
3–कोषाधिकारी,जवाहर भवन, लखनऊ।
4–निदेशक, वित्तीय साख्यिकी निदेशालय जवाहर भवन लखनऊ।
5 –वित्त(आय–व्ययक)अनुभाग–1/2 ।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण)अनुभाग–12 ।
7– गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(जे0पी0सिंह)
अनु सचिव।